

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 158/25

तारीख 12/6/25

01. घनश्याम पुत्र शम्भुलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी किशननिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. गन्नालाल पुत्र भवानीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी किशननिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. नाथूलाल पुत्र भवानीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी किशननिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
04. मदनलाल पुत्र भवानीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी किशननिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
05. रामलाल पुत्र मुणलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी किशननिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थीगण

बनाम

01. देवालाल पुत्र चुन्नीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. रामपाल पुत्र हजारी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. लाला पुत्र हजारी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक: 4/8/25

प्रार्थना पत्र घनश्याम पुत्र शम्भुलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी किशननिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा किशननिवास पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ में खाता संख्या 49 पर अंकित आराजी संख्या 51 रकबा 0.3723 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्रे संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक उमा जी का खेडा को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- रूपये तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा किशननिवास पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ में खाता संख्या 49 पर अंकित आराजी संख्या 51 रकबा 0.3723 हैक्टेयर भूमि बंशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम है।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या - 158/25

तारीख 12/6/25

प्रेषिती :-

फैसल :- 4/8/25

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 158 / 2025 पत्थरगद्दी वावत।

01. घनश्याम पुत्र शम्भुलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी किशननिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. मन्नालाल पुत्र भवानीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी किशननिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. नाथूलाल पुत्र भवानीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी किशननिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
04. मदनलाल पुत्र भवानीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी किशननिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
05. रामलाल पुत्र मुणलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी किशननिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थीगण

बनाम

01. देवालाल पुत्र चुन्नीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. रामपाल पुत्र हजारी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. लाला पुत्र हजारी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा किशननिवास पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ में खाता संख्या 49 पर अंकित आराजी संख्या 51 रकबा 0. 3723 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडोसीयान के पत्थरगद्दी की जावें। मौके पर पत्थरगद्दी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगद्दी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगद्दी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक उमा जी का खेडा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगद्दी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगद्दी करें। पत्थरगद्दी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ